संख्या- 25/2025/639/77-6-2025-6002(099)/3/2021

प्रेषक,

पीयूष वर्मा
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग, उद्योग निदेशालय,
कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक** 26 मार्च, 2025

विषयः-पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 के क्रियान्वयन हेतु रु.129.21 लाख की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 वित्तीय निगम के पत्रांक-40/विनि/वि.यो.वि./2024-25 दिनांक 18.06.2024 एव पत्रांक-529/विनि/वि.यो.वि./2024-25 दिनांक 27.02.2025, द्वारा पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 हेतु पात्र इकाईयों को स्वीकृत पूंजीगत ब्याज उपादान वितरित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-ब्ययक में प्रश्नगत योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मेसर्स आर एल जे कॉनकास्ट प्रा0लि0, चुनार, जनपद मिर्जापुर को देय धनराशि रु.129.21 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र0सं0	**इकाई का नाम**	वित्तीय वर्ष	**उपादान धनराशि (रू0 में)**
	मेसर्स आर एल जे कॉनकास्ट प्रा0लि0, चुनार, जनपद मिर्जापुर।	2014-15	13,61,000.00
		2015-16	0.00
		2016-17	50,00,000.00
		2017-18	50,00,000.00
		2018-19	15,60,000.00
	योग		**1,29,21,000.00** **(रूपये एक करोड़, उनतीस लाख इक्कीस हजार मात्र)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय-19-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति -2012 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपर्युक्त इकाई हेतु रु.129.21 लाख (रुपया एक करोड़ उनतीस लाख इक्कीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. धनराशि का भुगतान जिस इकाई को किया जाना है उसके खाते में सीधे जमा की जाएगी।
2. किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते अन्य किसी खाते में नहीं रखा जाएगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
4. यह धनराशि उन पात्र इकाईयों को उपलब्ध करायी जाएगी जो शासनादेश संख्या-1415/77-6-12-08 (एम)/12टी सी. दिनांक 30.11.2012 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हो।
5. यह धनराशि ऐसी पात्र इकाईयों, जिनका प्रत्यावेदन उ0प्र0 वित्तीय निगम में प्राप्त हो या आगे प्राप्त होंगे को उनके प्राप्त प्रत्यावेदन के यथाक्रम में वरीयतानुसार आवश्यक औपचारिकताएं एवं अनुबन्ध पूर्ण कराते हुए उपलब्ध करायी जाएगी।
6. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आंकलन आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर द्वारा किया जाएगा।
7. स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनाक 04.03.2024 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
8. उ0प्र0 वित्तीय निगम धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व इकाई की पात्र एवं आंकड़ो की शुद्धता का परीक्षण कर देय धनराशि के संबंध में संतुष्ट हो लेंगे तथा उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा इस आशय की आख्या आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग कानपुर को उपलब्ध करायी जाएगी।
9. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० वित्तीय निगम द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग कानपुर के माध्यम से शासन के औद्योगिक विकास अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 को उपलब्ध कराया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10. उ0प्र0 वित्तीय निगम धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व इकाई की पात्रता एवं आंकड़ों की शुद्धता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2885608001900 अवस्थापना एवं औदयोगिक निवेश नीति-2012 का कार्यान्वयन मानक मद- 27 सब्सिडी मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारो के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
पीयूष वर्मा
विशेष सचिव।

संख्या- 25 /2025/639(1)/77-6-2025-6002(099)/3/2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार. प्रथम द्वितीय (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम द्वितीय, उ०प्र० लखनऊ/प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर/लखनऊ ।
4. अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. उ0प्र0 वित्तीय निगम कानपुर को उनके पत्रांक-40/विनि/वि.यो.वि./2024-25 दिनांक 18.06.2024 एवं पत्रांक-529/विनि/वि.यो.वि./2024-25 दिनांक 27.02.2025, के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित ।
6. संयुक्त आयुक्त, उद्योग, कानपुर मण्डल, कानपुर/संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।
7. निदेशक, वितीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
9. वित (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
10. नियोजन अनुभाग-1/4
11. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राम ध्यान रावत
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in